



Neutral Citation No. - 2026:AHC:2847

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 45819 वर्ष 2025

रेखा आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य विपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : राज कमल त्रिपाठी

विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : शा.अधि.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. श्री राज कमल त्रिपाठी, आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा श्री राम मोहित यादव, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक, मुकदमा अपराध संख्या 153 वर्ष 2025, धाराओं 103(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, थाना फतेहगंज पश्चिमी, जिला बरेली के अंतर्गत, विचारण के लंबित रहने की अवधि में जमानत चाहती है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त टिंकू उर्फ पिंटू को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28.10.2025 को आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 29110 वर्ष 2025 में पारित आदेश के द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि चूँकि आवेदक का मामला उस सह-अभियुक्त के समान है, जिसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, अतः वह भी समानता के आधार पर जमानत पाने की अधिकारी है।
5. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि आवेदक दिनांक 18.04.2025 से जेल में बंद है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी तथा विचारण में सहयोग करेगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है। तथापि, सह-अभियुक्त के साथ समानता तथा आवेदक के कोई आपराधिक इतिहास न होने के उक्त तथ्यात्मक पहलुओं का उनके द्वारा खंडन नहीं किया गया।
7. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य, लंबित विचारण पर विचार करते हुए तथा इस न्यायालय द्वारा *नन्हा पुत्र नभान खाँ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 Cri.L.J. 938* में पारित निर्णय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *पारस राम विष्णोई बनाम निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, MANU/SCOR/22410/2021* में पारित निर्णय तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य, (2022) 10 SCC 51* में पारित निर्णय के प्रकाश में, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का मत है कि आवेदक इस मामले में जमानत पर रिहा होने की अधिकारी है। जमानत आवेदन समानता के आधार पर **स्वीकार** किया जाता है।
8. उक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक **रेखा** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका एवं दो जमानतदारों द्वारा समान राशि में जमानत प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।
 - i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगी।
 - ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव/भयादोहन नहीं करेगी।
 - iii) आवेदक निर्धारित तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगी।
9. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।
10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की साक्ष्य के आधार पर अपना स्वतंत्र मत बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

7 जनवरी, 2026

सिद्धांत